मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2014 (21 अग्रहायण, शक सम्वत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 10 : 32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. विशेष उल्लेख

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत के माननीय प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा का स्वागत एवं धन्यवाद

भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्ताव एवं 175 देशों के समर्थन के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा का स्वागत करते हुए, श्री शिवराज सिंह चौहान, सदन के नेता एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से धन्यवाद दिया गया.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 19 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 एवं 20 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये । प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 108 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 126 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम 267 के अधीन लंबित सूचनाओं में से 37 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई. अत: निम्नलिखित सूचनाएं माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गई मानी जाएंगी एवं इन्हे उत्तर के लिए सम्बन्धित विभागों को भेजा जाएगा. तदनुसार -

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की लेबड़-नयागांव पर फोरलेन कम्पनी में तालमेल न होने के कारण सड़क दुर्घटनाएं होने,

(2) श्री के.पी. सिंह, सदस्य की शिवपुरी का ग्राम गोलाकोट विद्युत विहीन होने,

(3) श्री जितू पटवारी, सदस्य की इंदौर सहित प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों द्वारा अवैध वसूली होने,

(4) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया, सदस्य की भोपाल के शिवाजी नगर क्षेत्र में अनेक झुग्गियों का निर्माण होने,

(5) श्री संजय शर्मा, सदस्य की तेंदूखेड़ा को विद्युत प्रदाय हेतु गुटोरी उपकेन्द्र से जोड़े जाने,

(6) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ोदा में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होने,

(7) श्रीमती मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, सदस्य की शिक्षण संस्थाओं की भूमि अन्य विभागों के नाम होने,

(8) श्री गोविन्द सिंह पटेल, सदस्य की सिवनी जिले के तहसील केवलारी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय सुनेहरा के शिक्षाकर्मी का स्थानांतरण किये जाने,

(9) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य की भिण्ड जिले में इंदिरा गांधी चौराहे से बम्बा का किनारा तक सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार होने,

(10) श्री सुखेन्द्र सिंह, सदस्य की रीवा जिले के मऊगंज एवं हनुमना तहसील में रियायत द्वारा दिये गये पट्टे अभिलेख में दर्ज न होने,

(11) श्री नीलेश अवस्थी, सदस्य की जबलपुर में धान की खरीदी न किए जाने,

(12) श्री नथनशाह कवरेती, सदस्य की छिंदवाड़ा जिले के दमुआ नगर पालिका से ग्राम अलग करने,

(13) श्रीमती झूमा सोलंकी, सदस्य की भीकनगांव क्षेत्र के ग्राम जामन्या में कपिलधारा कूप निर्माण में अनियमितता होने,

(14) श्री रजनीश सिंह, सदस्य की सिवनी जिले की ग्राम पंचायत छपरा को नगर पंचायत घोषित किये जाने,

(15) श्री दिनेश कुमार अहिरवार, सदस्य की छतरपुर जिले के जतारा को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने,

(16) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर, सदस्य की खंडवा जिले के पंधाना में गरीबों को खाद्यान्न पर्ची के अभाव में अनाज न मिलने,

(17) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की जिला श्योपुर के गोरस में शिक्षकों को वेतन भुगतान न होने,

(18) श्री नारायण सिंह पंवार, सदस्य की राजगढ़ के ब्यावरा में राजस्व कार्यालय की स्थापना की जाने,

(19) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की प्रदेश में गंभीर बीमारी से मिलने वाली स्वेच्छानुदान राशि समय पर न पहुंचने,

(20) श्रीमती शीला त्यागी, सदस्य की शहडोल के अम्बेडकर चौक का नामकरण किये जाने,

(21) श्री कमलेश्वर इन्द्रजीत पटेल, सदस्य की सीधी एवं सिंगरौली जिले में मनरेगा के तहत किये गये कार्यों का भुगतान न किये जाने,

(22) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कैंसर रोगियों का उपचार न होने,

(23) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की भोपाल के माता मंदिर के आसपास अवैध अतिक्रमण होने,

(24) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य की दमोह जिले के हटा नगर की नल जल योजना का कार्य न होने,

(25) श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य की प्रदेश में स्वयं के व्यय पर ट्रांसफार्मर रखने की योजना को बंद किये जाने,

(26) श्री मुरलीधर पाटीदार, सदस्य की प्रदेश के अध्यापकों को बीमा व चिकित्सा सुविधा का लाभ न मिलने,

(27) श्री हरदीप सिंह डंग, सदस्य की मंदसौर जिले के सुवासरा में किसानों को फसल बीमा की राशि न दी जाने,

(28) श्री घनश्याम पिरोनिया, सदस्य की भाण्डेर विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की हालत जर्जर होने,

(29) श्रीमती नीलम अभय मिश्रा, सदस्य की सुन्दरा-बिरसिंहपुर-सेमरिया मार्ग का कार्य पूर्ण न होने,

(30) श्री दिनेश राय, सदस्य की सिवनी जिले के छपरा ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाये जाने,

(31) श्री कालूसिंह ठाकुर, सदस्य की उद्यानिकी विभाग द्वारा अनुदान आवंटन में अनियमितता होने,

(32) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य की मध्यप्रदेश के पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सकों की भर्ती में अनियमितता होने,

(33) श्री उमंग सिंघार, सदस्य की प्रदेश के अनुसूचित जाति के छात्रावासों में दूषित भोजन दिये जाने,

(34) श्रीमती सरस्वती सिंह, सदस्य की चितरंगी के परेवा नाला में निर्माणाधीन पुल अपूर्ण होने,

(35) श्री वेल सिंह भूरिया, सदस्य की सरदारपुर क्षेत्र के ग्राम राजौदा में पाईप लाईन एवं ड्रेनेज लाईन क्षतिग्रस्त होने,

(36) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की हरदा लोक अदालत द्वारा जल कर की सुनवाई न किये जाने तथा

(37) श्री आशीष शर्मा, सदस्य की देवास जिले के नेमावर में सड़क निर्माण में अनियमितता होने,

सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) कुंवर विजय शाह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता एवं संरक्षण मंत्री ने मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 40 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 पटल पर रखा.

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने -

(क) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, मध्यप्रदेश का 41वां एवं 42वां प्रगति प्रतिवेदन, वर्ष 2008-09 तथा 2009-10,

(ख) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 तथा

(ग) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13

पटल पर रखे.

(3) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 49वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2009-10 तथा

(ख) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल का 50वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12,

पटल पर रखे.

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, ऊर्जा मंत्री ने -

(क) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 तथा

(ख) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 1838-म.प्र.वि.नि.आ.-2014, दिनांक 25 नवम्बर, 2014,

पटल पर रखी.

(5) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन ने -

(क) जे.पी. सीमेंट फैक्ट्री, रीवा में विंध्या द्वार पर गोलीबारी घटना की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन 15 जुलाई, 2011 द्वारा सुश्री सुषमा खोसला, एकल सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल शासन के संकल्प सहित तथा

(ख) दिनांक 13 अक्टूबर, 2013 को दतिया जिले की सेवढ़ा तहसील अंतर्गत रतनगढ़ माता मंदिर में श्रद्धालुओं के पुल पार करते समय भगदड़ के कारण घटित दुर्घटना की न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन 20 मार्च, 2014 द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री राकेश सक्सेना, एकल सदस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर (शासन के संकल्प सहित)

पटल पर रखे.

5. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से आज की कार्यसूची में उल्लेखित 14 ध्यानाकर्षण सूचनाओं में से प्रथम 4 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 138 (3) को शिथिल कर लिए जाने सम्बन्धी घोषणा की गई. तद्नुसार -

(1) सर्वश्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा एवं जयवर्द्धन सिंह, सदस्यगण ने ग्वालियर संभाग के जिलों में ओला एवं शीतलहर से नष्ट फसलों के मुआवजा वितरण में अनियमितता की जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

सर्वश्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री तथा गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिये.

(2) सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल एवं बाला बच्चन, सदस्यगण ने धार जिले के आदिवासी कन्या छात्रावास में छात्रा की मौत होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री ज्ञान सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा ध्यानाकर्षण संख्या (2) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर एक साथ खड़े होकर अपना बात कहने के कारण सदन में व्यवधान हुआ. इस कारण, अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्याह्न 12.20 बजे कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की जाकर 12.41 बजे पुन: समवेत की गई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(3) सर्वश्री आरिफ अकील एवं मुकेश नायक, सदस्यगण ने भोपाल के सघन आबादी वाले क्षेत्र में मोबाईल टॉवर लगाये जाने की ओर नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

सभापति महोदय (डॉ. गोविन्द सिंह) पीठासीन हुए.

(4) श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने शिवपुरी जिले में रेत की नीलामी बंद होने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

6. अध्यक्षीय घोषणा
सदन के समय में वृद्धि विषयक

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से ध्यानाकर्षण सूचनाएं पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि संबंधी घोषणा की गई.

(अपराह्न 1.07 से 2.36 बजे तक अन्तराल)
उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

7. ध्यान आकर्षण (क्रमश:)

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उप पद (5) से (14) तक के सदस्यगण की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े हुए माने गए –

(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की उज्जैन संभाग में बगैर मान्यता के हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित होने संबंधी सूचना तथा स्कूल शिक्षा मंत्री का वक्तव्य.

(6) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिले के इको सेंटर से सलापुरा तक नाले के निर्माण में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य.

(7) डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्यगण की मुरैना जिले के चंबल नदी में नाव पलटने से कई लोगों की मौत होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

(8) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर क्षेत्र में चकबंदी किये जाने से व्यवहारिक कठिनाइयां होने की ओर राजस्व मंत्री का वक्तव्य.

(9) श्री उमंग सिंघार तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की मध्य प्रदेश भण्डार गृह निगम द्वारा गेहूं भण्डारण के नाम पर भ्रष्टाचार किये जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य.

(10) डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण की प्रदेश में बासमती धान का उचित मूल्य न मिलने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य.

(11) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह, सदस्य की भिण्ड जिले के फूफ चौकी से सरसों के तेल का अवैध परिवहन होने संबंधी सूचना तथा वाणिज्यिक कर मंत्री का वक्तव्य.

(12) सर्वश्री जितू पटवारी तथा दिलीप सिंह शेखावत, सदस्यगण की उज्जैन जिले के नागदा ग्रेसिम मिल के श्रमिकों को समझौते के अनुरूप लाभ न दिये जाने संबंधी सूचना तथा श्रम मंत्री का वक्तव्य.

(13) श्री कालूसिंह ठाकुर, सदस्य की धरमपुरी क्षेत्र में नहर निर्माण में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास का वक्तव्य.

(14) सर्वश्री नीटू सत्यपाल सिंह सिकरवार, बलवीर सिंह डण्डोतिया तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण की मुरैना जिले के ग्राम उरहेटा में एक व्यापारी की हत्या होने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य.

8. अध्यक्षीय घोषणा :
अशासकीय कार्य के समय में परिवर्तन विषयक

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि – "मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के अनुसार आज अंतिम ढाई घन्टे अशासकीय कार्य के लिए नियत हैं परन्तु आज कार्यसूची में उल्लेखित "नियम 139 की चर्चा" के उपरान्त अशासकीय कार्य लिया जाएगा."

9. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सभापति द्वारा शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया.

(श्री प्रदीप अग्रवाल, सदस्य द्वारा आश्वासन समिति के प्रतिवेदन अत्यधिक शीघ्रतापूर्वक देने पर, सभापति महोदय एवं समिति के माननीय सदस्यगण को धन्यवाद दिया गया.)

(2) श्री मोती कश्यप, सभापति द्वारा पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम (कार्यान्वयन) प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) प्रस्तुत किया गया.

10. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव
विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति, विशेषाधिकार समिति ने मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन संबंधी नियमावली के नियम-228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि –

(1) माननीय डॉ. गौरीशंकर शेजवार एवं माननीय डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्रीद्वय, मध्यप्रदेश शासन एवं माननीय श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य विधान सभा द्वारा माननीय श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय श्री बाला बच्चन, सदस्य विधान सभा के विरूद्ध.

(2) माननीय डॉ. गौरीशंकर शेजवार एवं माननीय डॉ. नरोत्तम मिश्र, मंत्रीद्वय मध्यप्रदेश शासन द्वारा माननीय श्री सत्यदेव कटारे, नेता प्रतिपक्ष के विरूद्ध.

(3) माननीय श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव, सदस्य म.प्र. विधान सभा द्वारा जिला इंदौर के अंतर्गत मानपुर-लेबड़ मार्ग में वालेचा एल.एम. टोल प्राइवेट लिमिटेड के टोल प्लाजा नाके के कर्मचारियों तथा थाना प्रभारी मानपुर के विरूद्ध माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य विधान सभा के साथ अपमानजनक व्यवहार एवं जनप्रतिनिधित्व कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

11. नियम 239 के अंतर्गत विशेषाधिकार भंग की विचाराधीन सूचनाओं संबंधी सदन को सूचना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि - "उनके समक्ष माननीय श्री राजेन्द्र श्यामलाल दादू, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री वीरेन्द्र सिंह तोमर, वन परिक्षेत्राधिकारी, खकनार के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना विचाराधीन है".

12. नियम169 के अंतर्गत विशेषाधिकार समिति को सौंपी गई सूचनाओं संबंधी सदन को सूचना

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि - "माननीय श्री सचिन सुभाषचन्द्र यादव, सदस्य विधान सभा द्वारा जिला इंदौर के अंतर्गत मानपुर-लेबड़ मार्ग में वालेचा एल.एम.टोल प्राइवेट लिमिटेड के टोल प्लाजा नाके के कर्मचारियों तथा थाना प्रभारी, मानपुर के विरूद्ध माननीय श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल, सदस्य विधान सभा के साथ अपमानजनक व्यवहार एवं जनप्रतिनिधित्व कार्य में बाधा उत्पन्न करने के संबंध में प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना को उन्होंने परीक्षणोपरान्त जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया है."

13. याचिकाओं की प्रस्तुति

दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित निम्नलिखित सदस्यों की याचिकायें प्रस्तुत हुई मानी गई :-

(1) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल (जिला-धार)
(2) श्री दिनेश राय (जिला-सिवनी)
(3) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर (जिला-खण्डवा)
(4) श्रीमती नीलम अभय मिश्रा (जिला-रीवा)
(5) डॉ. गोविंद सिंह (जिला-भिण्ड)

14. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा
प्रदेश में यूरिया, डी.ए.पी. और अन्य खाद की कमी एवं कालाबाजारी होना

प्रदेश में यूरिया, डी.ए.पी. और अन्य खाद की कमी एवं कालाबाजारी संबंधी दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया :-

(4) श्री शंकरलाल तिवारी
(5) श्री रजनीश सिंह
(6) श्री रामेश्वर शर्मा
(7) श्री शैलेन्द्र पटेल

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(8) श्रीमती झूमा सोलंकी
(9) श्री कमलेश्वर इन्द्रजीत पटेल
(10) श्री निशंक कुमार जैन
(11) श्री सोहनलाल बाल्मीक
(12) डॉ. रामकिशोर दोगने
(13) श्रीमती उषा चौधरी
(14) श्री दिनेश राय
(15) श्री जयवर्द्धन सिंह
(16) श्री उमंग सिंघार
(17) श्री यादवेन्द्र सिंह
(18) श्री हरदीप सिंह डंग
(19) श्री बहादुर सिंह चौहान
(20) श्री बाला बच्चन

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

(इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा प्रदेश में यूरिया, डी.ए.पी. और अन्य खाद की कमी एवं कालाबाजारी संबंधी चर्चा पर माननीय कृषि मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.)

15. अशासकीय संकल्प

(1) अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य के संकल्प – "सदन का यह मत है कि ग्वालियर-चंबल संभाग के अंतर्गत बीहड़ों को विकसित एवं समतलीकरण किया जाय एवं बीहड़ भूमि के क्रय/विक्रय पर पंजीयन शुल्क उपजाऊ भूमि से कम निर्धारित किया जाय" को उनके अनुरोध पर आगामी सत्र में लिया जायेगा".

(2) श्री के.पी. सिंह, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि – "सदन का यह मत है कि ए.पी.एल. कार्ड धारकों को कैरोसिन उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्राम/नगर पंचायत स्तर पर कैरोसिन की फ्री सेल दुकानों का संचालन किया जावे." तथा संक्षिप्त भाषण दिया.

कुंवर विजय शाह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने उत्तर दिया.

संकल्प वापस हुआ.

(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि – "सदन का यह मत है कि मौसम की मार के कारण नष्ट होने वाली फसलों के मुआवजे में अफीम की फसल के कृषकों को भी शामिल किया जाय." निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(2) श्री दिलीप सिंह परिहार
(3) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(4) श्री हरदीप सिंह डंग

श्री रामपाल सिंह, राजस्व मंत्री ने उत्तर दिया.

संकल्प वापस हुआ.

16. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर निम्नानुसार उदगार व्यक्त किए गए –

"मध्यप्रदेश की चतुर्दश विधान सभा का यह शीतकालीन सत्र अब समाप्ति की ओर है । इस पाँच दिवसीय शीतकालीन सत्र में विधायी, वित्तीय तथा लोक महत्व के अनेक कार्य सम्पन्न हुए ।

सदन ने वर्ष 2014-15 के प्रथम अनुपूरक अनुमान को अपनी स्वीकृति प्रदान की, वहीं विनियोग विधेयक सहित 14 शासकीय विधेयक भी पारित किये गये।

इस सत्र में कुल 1387 प्रश्न प्राप्त हुए । ध्यानाकर्षण की कुल 208 सूचनाएं प्राप्त हुईं । 24 सूचनाएं ग्राह्य हुई और 14 पर सदन में चर्चा भी हुई । 73 याचिकाएं सदन में प्रस्तुत हुईं। सदन में कई सभा समितियों के प्रतिवेदन प्रस्तुत हुए और एक स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा के साथ ही दो अशासकीय संकल्पों और खाद बीज की अनुपलब्धता पर नियम 139 के अधीन चर्चा भी हुई ।

संसदीय लोकतंत्र में सदन जनता की आवाज को सुनने और उसका समाधान निकालने का एक प्रभावी और कारगर मंच है और इसके सुखद परिणाम भी जनता को मिलते हैं।

प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन, बजट व अन्य माध्यमों से की जाने वाली चर्चा सदैव ही परिणामदायक रहती है। सैकड़ों जनहित के मामलों का समाधान होता है। इस सत्र में हुई चर्चाओं के परिणाम भी अच्छे रहे, कई जनहित के काम हुए।

ऑन लाइन प्रश्नोत्तर की जो व्यवस्था पिछले सत्र में प्रारंभ की गई थी उस व्यवस्था ने इस बार स्थाई रूप ले लिया अर्थात् इस व्यवस्था में जो छोटी मोटी तकनीकी कमियाँ पिछली बार रह गई थीं उनका भी निराकरण इस बार हो गया और शत-प्रतिशत प्रश्नोत्तर ऑन लाइन आए और गए । देश की किसी भी विधान सभा में पहली बार प्रारंभ इस व्यवस्था में सहयोग के लिए मैं संसदीय कार्य विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) के अधिकारियों को भी बधाई देता हूँ । प्रदेश के मुख्य सचिव की इस मामले में रूचि भी सराहनीय रही ।

पिछले सत्र से आश्वासनों को ऑन लाइन करने का परिणाम यह रहा है कि विगत मार्च एवं जून-जुलाई सत्र में माननीय मंत्रिगणों द्वारा दिये गये समस्त आश्वासनों पर इस सत्र में **'आश्वासन समिति'** के दो प्रतिवेदन प्रस्तुत हो गये हैं। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि हेतु मैं न केवल आश्वासन समिति के सभापति एवं सदस्यों को उनके अथक परिश्रम के लिए उन्हें बधाई दूंगा वरन् विभागीय मंत्रियों और विभागीय अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आम जनता के कार्यों के प्रति अपेक्षित संवेदनशीलता बरतते हुए आश्वासनों की पूर्ति में अपना सहयोग प्रदान किया ।

माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये प्रश्नों के पंजीयन की जानकारी माननीय सदस्यों को एस.एम.एस. (SMS) से देने की व्यवस्था पिछले सत्र से ही प्रारंभ कर दी गई थी । इस सत्र से इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाया जायेगा ।

विधान सभा का मुख्य कार्य विधान बनाने का है । इस तकनीकी और कुछ हद तक उबाऊ कार्य को रूचिपूर्ण और सरल बनाने की दृष्टि से विधान सभा की पुस्तकालय शाखा ने पहली बार यह प्रयास प्रारंभ किया कि प्रत्येक विधेयक के उपबन्धों को सरल शब्दों में माननीय सदस्यों और पत्रकारों को **'विधेयकों की संक्षेपिका'** बनाकर उपलब्ध कराया जाय। इस सत्र में सभी विधायकों और पत्रकारों को ऐसी संक्षेपिका वितरित की गई ।

इस अवसर पर मैं प्रथम बार निर्वाचित विधायकों के सदन में प्रदर्शन की प्रशंसा भी करूंगा। इस बार कुल प्राप्त प्रश्नों के 56 प्रतिशत प्रश्न प्रथम बार निर्वाचित सदस्यों के थे । विगत बजट सत्र में विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने वाले 100 सदस्यों में से प्रथम बार निर्वाचित सदस्य 57 थे। इसी प्रकार इस सत्र में आए प्रथम अनुपूरक अनुमान में भाग लेने वाले 16 सदस्यों में से 9 सदस्य प्रथम बार निर्वाचित थे । यह तथ्य नये सदस्यों का उत्साह दर्शाता है। मुझे विश्वास है कि प्रथम बार निर्वाचित सदस्यगण सचिवालय के अधिकारियों का सहयोग और सचिवालय की संदर्भ, अनुसंधान व पुस्तकालय शाखा की सेवाएं लेकर सदन की प्रत्येक कार्यवाही में अपनी दक्षता को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे और सदन का समय सार्थक चर्चा में लगे, इसमें मुझे सहयोग भी देंगे ।

माननीय सदस्यों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण बहुत उत्साह वर्द्धक रहा । अलग-अलग सत्रों को मिलाकर लगभग 100 माननीय सदस्यों ने कम्प्यूटर प्रशिक्षण में भाग लिया। अनेक माननीय सदस्यों ने यह प्रशिक्षण अगले सत्र में जारी रखने का आग्रह भी मुझसे किया है ।

कुछ खट्टी, कुछ मीठी यादें हर सत्र छोड़कर जाता है, कुल मिलाकर यह सत्र पूरी तरह से सफल रहा। सत्र के सुखद समापन पर मैं सदन के माननीय नेता मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस पक्ष के सचेतक, माननीय उपाध्यक्ष, बसपा विधायक दल के नेता, सभी माननीय सदस्यों, मीडिया के मित्रों, शासन तथा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों और सुरक्षाकर्मियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और सभापति तालिका के माननीय सदस्यों को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री के सहयोग का मैं पृथकत: उल्लेख करना चाहूँगा। उनकी सजगता और लगातार सदन में उनकी उपस्थिति से सदन में व्यवस्था बनाने में मुझे मदद मिली।

मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को आने वाले क्रिसमस पर्व और नववर्ष की भी बधाई देता हूँ। अगले सत्र में हम सब ऐसे ही सुखद माहौल में पुन: समवेत होंगे, इस अपेक्षा के साथ आप सबको पुन: धन्यवाद।"

श्री शिवराज सिंह चौहान, सदन के नेता (माननीय मुख्यमंत्री) एवं श्री बाला बच्चन, सदस्य द्वारा भी सत्र समापन अवसर पर उदगार व्यक्त किए गए.

17. राष्ट्रगान
'जन-गण-मन' का समूह-गान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' का समूह-गान किया गया.

अपराह्न 5.17 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 12 दिसम्बर, 2014